सर्वोच्च प्राथमिकता/ मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश

संख्या- 50/ 77-2-15-3(रिट)मुद्रण/ 14

प्रेषक,

संजीव सरन
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मुद्रण एंव लेखन सामग्री,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2 लखनऊ दिनंक 13 जनवरी, 2015

विषयः- सिविल अपील संख्या 3339-3340/2014 मोती लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2014 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 3339-3340/2014 मोती लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2014 को निम्न आदेश पारित किये गयेः-

1- Identify the vacancies between 1991 and 2003 in the Group D/ Class IV posts other than "Gateman" This exercise shall be completed within four months.

2- The vacancies thus identified shall be filled up on regular basis from amongst the daily wage Group D/ Class IV employees in service in the Government Press as on 12-11-97 and who can work at least for five years as on date before their superannuation as per Rules. The qualification shall be determined as per the 1985 Rules. This exercise shall be completed within another one month. We make it Clear that in the process, none of the existing regular imployees including the selected gatemen shall be disturbed. In other words, it will be open to the state to appoint such employees and post them either in the vacancies if available in the Government Press or any other Group-D/Class-IV posts in the State. We further make it clear that without completing this exercise the shall be no regular appointment in any Group D /Class IV post in the State of Uttar Pradesh.

2- मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन न होने के आधार पर याचीगण द्वारा अवमाननावाद संख्या- 465-466/2014 मोती लाल व अन्य बनाम सूर्य पाल गंगवार योजित की गयी।

http://shasanadesh.up.nic.in

उक्त अवमानना याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2014 को निम्न आदेश पारित किये गये हैः-

List the matters on 30 January 2015 so as to enable the respondents-alleged contermnors to do the needful in compliance of the order passed by this Court.

Reply affidavit shall be filed within two weeks from today.

3- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल सिविल अपील संख्या- 3339-3340/2014 मोती लाल व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.3.2014 के अनुपालन में कार्यवाही करते हुए मुद्रण एंव लेखन सामग्री निदेशालय द्वारा समूह-घ के 310 दैनिक वेतन भोगी कम्रियों को नियमित नियुक्ति हेतु चिन्हित किया गया। निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि उनके स्तर पर समूह-घ के 112 रिक्त पद उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष निदेशालय स्तर पर विचार किया जाना है और शेष 186 दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की नियमित नियुक्ति के संबंध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया जाना है।

4- इस संबंध में शासन स्तर से सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय दिनांक 08 सितम्बर, 2010 एंव 04 जनवरी, 2011 में यह व्यवस्था की गयी है कि भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद (कनिष्ठ वर्ग में प्राविधिक पदों को छोडकर) पर नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा चतुर्थ श्रेणी के रिक्त होने वाले पदों के संबंध में केवल आउट सोर्सिंग के माध्यम से व्यवस्था की जाये। उक्त व्यवस्था ''उत्तर प्रदेश मृतक आश्रित भर्ती नियमावली, 1974'' के अन्तर्गत समूह-''घ''के पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों के संबंध में लागू नहीं होगी। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिये जाने विषयक उक्त निर्णय के दृष्टिगत सामान्य स्थितियों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्तियॉं नहीं की जा सकती है किन्तु वर्तमान प्रकरण में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिपालन के दृष्टिगत दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को नियुक्ति प्रदान किया जाना बाध्यकारी है। ऐसी स्थिति में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के परिपालन की बाध्यता के दृष्टिगत राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध 112 रिक्तियों के सापेक्ष नियुक्ति हेतु अनापत्ति व्यक्त की जाती है।शेष 186 दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों को राज्य सरकार के अन्य विभागों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के पदों के सापेक्ष नियुक्ति किया जाना होगा। इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है।

5- अवशेष 186 दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों का विवरण निदेशक मुद्रण एंव लेखन सामग्री औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भवदीय,

(संजीव सरन)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 50(1)/ 77-2-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया राज्य सरकार के अन्य विभागों में रिक्त चतुर्थ श्रेणी के 186 पदों के सापेक्ष राजकीय मुद्रणालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को नियमित नियुक्ति के संबध में समस्त विभागों को अपने स्तर से निर्देश निर्गत करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2- वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग-1/2

3- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एफ0एन0प्रधान)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in